

अंतिम डिक्री व मुकदमे इत्बादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 31/2023

वादी

1. अमराराम पुत्र कलाराम जाति जाट निवासी कमेड़िया तहसील डेह जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोरधनराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी कमेड़िया तहसील डेह नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, आर.टी.एक्ट 1955 एवं 136 भूरा.अधि.

उपस्थिति -

1. वादी की ओर से श्री बिरबलराम कमेड़िया एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

--: डिक्री आदेश :-



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बिरबलराम कमेड़िया अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित मिनजानिब मुददयल्लह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -

- मौजा कमेड़िया के खाता संख्या 9 में दर्ज खातेदार अमराराम के पिता का नाम कनाराम के स्थान पर कलाराम दुरस्त/दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- मौजा कमेड़िया के खाता संख्या 96 में दर्ज खातेदार गोरधनराम के पिता का नाम नरसीराम के स्थान पर नरसा राम दुरस्त/दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
1. वादीगण अमराराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 8.5069 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है। शेष खाता बदस्तुर।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गोरधनराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 3.6664 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है। शेष खाता बदस्तुर।
3. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)
5. तहसीलदार डेह द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी) जायल